न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र 14(4) संख्याः 03/2024
दायर दिनांकः 18.04.2024
निर्णय दिनांक 28.04.2025

—:अनवानः—

ग्राम पंचायत उथनोल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत उथनोल — **प्रार्थी**

बनाम

1. युवराज पिता तुलसीराम जी ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी उथनोल हाल आरएसईबी ऑफीस के पास गजानंद अपार्टमेन्ट नाथद्वारा जिला राजसमंद।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब नाथद्वारा — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटित भूमि को निरस्त कराने बाबत
उपस्थितः—

1— श्री देवेन्द्र टांक, अधिवक्ता प्रार्थी,
2— विपक्षी संख्या 01 अनुपस्थित। (एकपक्षीय कार्यवाही)
3— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 02

:: निर्णय ::

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू—आंवटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव उथनोल के आराजी नम्बर 435 रकबा 04 बीघा भूमि आवंटन की गई। आवंटन आदेश दिनांक 26/05/1989 को निरस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। वादग्रस्त सम्पुर्ण आराजी पर कब्जा विपक्षी का कभी भी नहीं रहा है। आवंटन से पूर्व से ही उक्त भूमि पर ग्राम पातलपुरा की राजकीय प्राथमिक विधालय का भवन बना हुआ था व आज भी उक्त भूमि पर भवन बना हुआ है एवं विधालय संचालित है। आवंटन प्रार्थना पत्र में क्रम संख्या 4 पर मिथ्या रिपोर्ट अंकन कर आवंटन सही तथ्यों को नहीं बताकर विधि विरुद्ध करवा लिया है व उक्त भूमि आज भी गैर खातेदारी में ही दर्ज है। विपक्षी संख्या 1 ने आवंटन की पात्रता हेतु

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जांच भी गलत होकर मिथ्या जांच रिपोर्ट करवा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष गलत तथ्यों पर अनुशंसा कर आवंटन कराया जो निरस्त होने योग्य है। उक्त आवंटन कार्यवाही विधि अनुसार नहीं की गई। इस सम्बन्ध में न तो प्रस्ताव पुर्व में पारित किया गया न कोई आम सूचना आवंटन बाबत् निकाली गई। आवंटन प्रार्थना पत्र में आवंटन दिनांक भी उसी दिन की अंकित है।। उक्त आवंटन प्रक्रिया के विपरीत किया गया। आवंटन की पालना भी नहीं हुई है जो विधि विरूद्ध होने से आवंटन निरस्त योग्य है। उक्त आवंटन की जानकारी प्रार्थी को प्रथम बार दिनांक 27/02/2024 को होने पर प्रार्थी ने नकल प्रार्थना पत्र पेश किये। नकल प्राप्ति के पश्चात् अधिवक्ता से सम्पर्क कर आवंटन दिनांक 26/05/1989 से जानकारी दिनांक 27/02/2024 की अवधि कण्डोन कराने बाबत् धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। नकल प्राप्ति दिनांक के पश्चात् प्रार्थी बीमार रहने से अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाये। दिनांक 27/02/2024 से दिनांक 15/03/2024 तक अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका। उक्त अवधि भी कण्डोन कराना चाहता है। इससे पुर्व आवंटन की जानकारी नहीं होने से प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सके। जानकारी दिनांक से एवं बीमारी के बाद प्रार्थना पत्र तैयार करवा अदर अवधि में पेश है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित गांव उथनोल के आराजी नम्बर 435 रकबा 04 बीघा आवंटन आदेश दिनांक 26/05/1989 को जो भूमि आवंटित हुई है। उक्त आवंटन को निरस्त करने का आदेश बक्शे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधिनस्थ कार्यालय का रिकार्ड तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 के लगातार अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। व प्रकरण में तहसीलदार नाथद्वारा से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की मूल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि गांव उथनोल के आराजी नम्बर 435 रकबा 04 बीघा भूमि आवंटन की गई। आवंटन आदेश दिनांक 26/05/1989 को निरस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। वादग्रस्त सम्पुर्ण आराजी पर कब्जा विपक्षी का कभी भी नहीं रहा है। आवंटन से पूर्व से ही उक्त भूमि पर ग्राम पातलपुरा की राजकीय प्राथमिक विधालय का भवन बना हुआ था व आज भी उक्त भूमि पर भवन बना हुआ है एवं विधालय संचालित है। उक्त भूमि पर आवंटी का कभी भी कब्जा नहीं रहा। आवंटन से पूर्व ही उक्त भूमि पर विधालय भवन निर्मित था। आवंटन प्रार्थना पत्र में क्रम संख्या 4 पर मिथ्या रिपोर्ट अंकन कर आवंटन सही तथ्यों को नहीं बताकर विधि विरुद्ध करवा लिया है व उक्त भूमि आज भी गैर खातेदारी में ही दर्ज है। विपक्षी संख्या 1 ने आवंटन की पात्रता हेतु जांच भी गलत होकर मिथ्या जांच रिपोर्ट करवा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष गलत तथ्यों पर अनुशंसा कर आवंटन कराया जो निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित गांव उथनोल के आराजी नम्बर 435 रकबा 04 बीघा

आवंटन आदेश दिनांक 26/05/1989 को जो भूमि आवंटित हुई है। उक्त आवंटन को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 के पूर्वाधिकारी को वादग्रस्त भूमि का विधिसम्मत आंवटन किया गया। प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना उचित रहेगा।

मैनें अधिवक्ता अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी ग्राम पंचायत उथनोल ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 का इस आधार पर प्रस्तुत किया कि ग्राम उथनोल का आराजी नं. 435 रकबा 4–00 बीघा भूमि दिनांक 26.05.1989 को विपक्षी स.01 के पूर्वाधिकारी तुलसीदास पिता शंकरदास ब्राह्मण को आंवटित की गई। उक्त आंवटन विधि विरूद्ध किया गया व वादग्रस्त सम्पुर्ण आराजी पर विपक्षी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। आवंटन से पूर्व से ही उक्त भूमि पर ग्राम पातलपुरा की राजकीय प्राथमिक विधालय का भवन बना हुआ था व आज भी उक्त भूमि पर भवन बना हुआ है एवं विधालय संचालित है। अतः उक्त आवंटन को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

उक्त क्रम में उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा की आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि राजस्व ग्राम उथनोल तहसील नाथद्वारा के प्रश्नगत आराजी नम्बर 435 रकबा 4–00 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक 26.05.1989 को विपक्षी संख्या 01 के पूर्वाधिकारी तुलसीदास पिता शंकरदास ब्राह्मण को कृषि प्रयोजनार्थ आंवटित की गई। विचारणीय प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि **"राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी 435 वर्तमान में राजस्व ग्राम उथनोल की जमाबन्दी खाता संख्या 660 में दर्ज होकर खातेदार तुलसीराम पिता शंकरलाल ब्राह्मण सा. देह गैर खातेदार किस्म बारानी 3 कुल रकबा 1.0117 हैक्टेर के नाम रिकॉर्ड दर्ज है जबकि मौके के अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी नं. 435 के पश्चिम दिशा में वर्तमान में मौके पर 13x9 वर्गमीटर में प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है। तथा विद्यालय के सामने की तरफ 10x7 वर्गफीट में दो शौचालय बने हुए है। तथा इसी आराजी में एक हेन्डपंप खुदा हुआ है शेष भूमि मौके पर पड़त है। एवं स्कूल की बाउन्ड्रीवाल बनी हुई नहीं है। इसके अतिरिक्त इसी आराजी में उथनोल से ग्राम पातलपुरा जाने का रास्ता बना हुआ है जो डामरीकृत है"**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि पर आवंटी व उसके उत्तराधिकारी का आवंटन दिनांक से ही कब्जा नहीं है आवंटी व उसके उत्तराधिकारी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है तहसीलदार नाथद्वारा की मौका रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि आवंटित वादग्रस्त भूमि के मौके पर आवंटी व उसके उत्तराधिकारी का कब्जा काश्त नहीं है। अतः आवंटी व उसके उत्तराधिकारी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा द्वारा दिनांक 26.05.1989 को विपक्षी संख्या 1 के पूर्वाधिकारी को किया गया आवंटन खारिज किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा की मूल आवंटन पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटायी जावें। एवं तहसीलदार नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार नाथद्वारा को निर्णय की प्रति भिजवायी जावे।

28/4/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

28/4

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद